मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
निर्वाचन भवन
58 अरेरा हिल्स भोपाल (म0प्र0)–462 011

क्रमांक एफ–37–06/2009/तीन/464 भोपाल, दिनांक 18/01/2010

प्रति,

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
(स्थानीय निर्वाचन)
जिला–समस्त
(मध्यप्रदेश)

विषयः–पंचायतों के आम निर्वाचन 2009–10 जनपद मुख्यालय में मतगणना कराने के संबंध में ।

पंचायत निर्वाचन (रिटर्निंग आफिसरों के लिए हस्त पुस्तक) "निर्वाचन संदर्शिका" जून, 2009 के अध्याय–15 की कण्डिका–02 (3) के अनुसार अपरिहार्य कारणों से मतदान केन्द्र में मतगणना स्थगित करने का निर्णय लिये जाने की स्थिति में मतदान दल द्वारा ही मतदान के अगले दिन मतगणना की स्थिति में अगले दिन खण्ड मुख्यालय में अपरान्ह 3.00 बजे से किये जाने के निर्देश हैं

2/ इस सबंध में कतिपय जिलों द्वारा मतगणना का कार्य मतदान दल द्वारा ही खण्ड मुख्यालय में मतदान के अगले दिन कराये जाने का प्रस्ताव किया गया है ।

3/ अतः त्रि–स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2009–10 के संदर्भ में मतदान केन्द्रों में कराई जाने वाली मतगणना में किसी अप्रत्याशित घटना के कारण अथवा अन्य तनाव व्यक्त हो और रिटर्निंग आफिसर या पीठासीन अधिकारी को ऐसा प्रतीत हो कि मतगणना में हिंसा या गड़बढ़ी हो सकती है तो मतगणना स्थगित करने का निर्णय ले सकते हैं । ऐसी स्थिति में मतगणना मतदान के अगले दिन खण्ड मुख्यालय में अपरान्ह 3.00 बजे आयोग द्वारा जारी पूर्व निर्देशों के अनुसार आयोजित की जाये ।

(अनुपम राजन)
सचिव
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
दूरभाष क्र. 0755–2555527

C:\Users\hp\Desktop\Narendra\back\bkpele\Hasan\Hed 37\37-06-Shopur.doc